प्रश्न :- मूल अधिकार मानव अधिकारों से किस प्रकार भिन्न हैं? चर्चा कीजिए। (शब्दसीमा :- 250)

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जिनको मनुष्य होने के नाते सभी प्राप्त करने के अधिकारी हैं और जब इन्हीं मानवाधिकारों को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान कर उन्हें बुनियादी महत्व दिया जाता है तब वे मूल अधिकार कहलाते हैं।

भारतीय संविधान भी ऐसे ही कुछ मानवाधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर उन्हें बुनियादी महत्व देता है। हलांकि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम उल्लेख अमेरिकी संविधान मे देखने को मिलता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जहां संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई वहीं मूलअधिकारों की संवैधानिक मान्यता अलग-अलग देशों ने अलग-अलग समय पर प्रदान की है। जैसे :- भारतीय संविधान ने मूलअधिकारों को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को प्रदान की है हलांकि विधिक कानूनों के रूप में मानवाधिकारों को भी उचित स्थान देते हुए महत्व प्रदान किया गया है लेकिन मानवाधिकार उद्देश्यों की कुशल प्राप्ति तभी संभव है जब मूलअधिकारों का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो इसी महत्व को समझते हुए भारतीय संविधान में मूलअधिकारों को किसी अन्य प्रावधान से अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इन्हें राज्य के नियंत्रण से काफी हद तक मुक्त रखकर इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इनका प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय को बनाया

गया है।
मानवाधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही भारतीय संविधान के भाग-3 में अनु०-12से 35 तक मूल -अधिकारों को स्थान दिया गया है। इसमें छः प्रकार के के अधिकारों की व्यवस्था की गई है -

→ समानता का अधिकार (Article 12 से 35)

→ स्वतंत्रता का अधिकार (Article 19 से 22)

→ शोषण के विरुद्ध अधिकार (Article 23 से 24)

→ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25 से 28)

→ संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (Article 29 से 30)

→ संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Article 32)

इसके अलावा मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित कर इन्हें वैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब मूल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो अतः दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी पूरक हैं एक के बिना दूसरा अधूरा है।

Q. मूल अधिकार मानवाधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? स्पष्ट करो।

सामान्यतः अधिकार से तात्पर्य किसी चीज के नैतिक या कानूनी अधिकार से है, जिन्हें समाज द्वारा स्वीकृत किया गया हो। इन अधिकारों को दो श्रेणियों में रखा जाता है- मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकार।

मौलिक अधिकार - किसी देश के नागरिकों के वे मूल अधिकार, जिन्हें उस राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत द्वारा अनुमोदित तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इन्हें संविधान द्वारा निहित किया जाता है। इनके हनन पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। ये जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं नस्ल के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। मौलिक अधिकारों द्वारा ही नागरिकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। भारतीय संविधान के भाग-3 में अनु. 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।

मानव अधिकार :- UN के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक एवं प्राकृतिक अधिकार जो किसी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र से इतर होते हैं। इसके दायरे में जीवन, आजादी, समानता, सम्मान का अधिकार शामिल है। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की।

मूल अधिकार निम्नलिखित आधारों पर मानव अधिकारों से भिन्न है -

1) मानव अधिकार सार्वभौम एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है जबकि मूल अधिकार देश के संविधान द्वारा प्रदान किये जाते हैं, ये केवल उस व्यक्ति पर लागू होते हैं, जो संविधान के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

2) मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय विधेयकों, सम्मेलनों एवं प्रोटोकॉल की श्रृंखला में उल्लेखित हैं इसके विपरीत मौलिक अधिकार प्रत्येक देश के राष्ट्रीय संविधान में दिये गये हैं।

3) मौलिक अधिकार देश विशिष्ट है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर बनाये गये हैं जबकि मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

4) मौलिक अधिकार उस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त है जबकि मानव अधिकार प्रत्येक मानव को प्राप्त होते हैं।

5) मौलिक अधिकारों की प्रकृति संवैधानिक है जबकि मानव अधिकारों की प्रकृति नैतिक है।

6) उपर्युक्त भिन्नताओं के बावजूद कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों द्वारा मानव को गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्वक सुखी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि इनका उचित ढंग से क्रियान्वन किया जाता है तो किसी राष्ट्र के मौलिक अधिकारों का ~~क्रियान्~~ भी सुचारु रूप से क्रियान्वयन संभव है।

मूल अधिकार, मानवाधिकारो से किस प्रकार भिन्न है?
चर्चा कीजिए।

सामान्यत: लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली में, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बुनियादी पहलुओं के रूप में मौलिक अधिकारो व मानवाधिकारो की व्यवस्था, मुख्य विशेषता

भारतीय संविधान में भाग-III मौलिक अधिकारो का वर्णन है। तथा भारत सन 1948 में ही मानवाधिकार-पत्र पर सहमति दर्ज करवा चुका है।

सामान्यत मौलिक अधिकारो व मानवाधिकारो का उद्देश्य एक नागरिक के लिए स्वतंत्रता तथा समानता आदि अधिकारो की उपस्थिति ही है, लेकिन दोनो के मध्य कुछ अन्तर भी निम्नलिखित है:-

| ⇒ अन्तर → मौलिक अधिकार | मानवाधिकार |
| --- | --- |
| (a) सामान्यत: व्यक्ति को संविधान/राज्य द्वारा प्रदत्त। | (a) व्यक्ति के जन्म के साथ अर्थात प्रकृति प्रदत्त। |
| (b) किसी देश की राजनीतिक व भौगोलिक सीमाओ का प्रभाव | (b) भौगोलिक सीमाओ का कोई प्रभाव नही। |
| (c) सामान्यत: कुछ अधिकार स्वयं के देश के नागरिको के लिए, जैसे-अनु 16, 19, 15, 29, 30। | (c) सम्पूर्ण मानव जाति के लिए उपस्थित। |
| (d) मौलिक अधिकारो का अधिकतम राष्ट्रीय मापदण्ड। जैसे- सर्वोच्च न्यायालय (दिल्ली) | (d) अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड (हेग) निदर्लैण्ड। |
| (e) इनके पास में कानूनी मंजूरी है तथा उसके माध्यम से ही लागु होते है। | (e) इनके पास ऐसी पवित्रता नही है तथा ये अदालतों में भी उपस्थित नही है। |

अन्ततः मानवाधिकार और मौलिक अधिकार मौलिक सिद्धांत हैं जो सभी लोगो को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तथा दोनो ही सिद्धान्त एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक वातावरण बनाने और लोगो को हिंसा, अन्याय तथा भेदभाव से बचाने पर केन्द्रित है।